लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर भोपाल–462023

क्रमांक / अतिथि शिक्षक / 2025–26 / 153 भोपाल, दिनांक 16.05.2025

प्रति

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक म.प्र.।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र.।
3. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी म.प्र.।
4. समस्त संकुल प्राचार्य हाई / हायर सेकेण्डरी स्कूल मध्यप्रदेश।

विषयः–शैक्षणिक सत्र 2025–26 मे अतिथि शिक्षक हेतु नवीन पंजीयन एवं पूर्व से पंजीकृत आवेदकों द्वारा जानकारी का अद्यतन करने विषयक्।

संदर्भः–संचालनालय का पत्र क्र / 127 दिनांक 01.05.2025।

उपरोक्त संदर्भित पत्रानुसार शैक्षणिक सत्र 2025–26 मे अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु नवीन पंजीयन एवं पंजीकृत आवेदकों के लिंए 2 मई से नवीन एजुकेशन पोर्टल 3.0 अन्तर्गत अतिथि शिक्षक पोर्टल (GFMS) पर आवेदकों को नवीन पंजीयन एवं पूर्व से पंजीकृत आवेदकों को अपनी शैक्षणिक / व्यावसायिक योग्यताओं की प्रविष्टि, संशोधन के निर्देश दिये गये थें।

उक्त परिपेक्ष्य मे आवेदकों की मांग के आधार पर पुनरीक्षित समयसारणी जारी की जा रही है। संकुल प्राचार्य आवेदकों कि उपस्थित होने पर सत्यापन की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(अ) एजुकेशन पोर्टल 3.0 अन्तर्गत GFMS पोर्टल पर कार्यवाही हेतु समय–सारणी :–

क्र	कार्यवाही विवरण	कार्यवाही स्तर	समयसीमा
1	समस्त आवेदकों द्वारा अपनी शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता तथा म.प्र. शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित दस्तावेज अपलोड करना।	आवेदक द्वारा करना	23.05.2025 तक
2	आवेदक की जानकारी मे किसी प्रकार की त्रुटि होने पर ई–केवाईसी अनलॉक कर अपडेट करना।		
3	आवेदकों के पंजीयन मे दर्ज जानकारी का संकुल प्राचार्य द्वारा सत्यापन कार्य।	संकुल प्राचार्य	24.05.2025 तक
4	पूर्व से पंजीकृत आवेदन मे दर्ज मोबाईल नम्वर बन्द हो जाने की स्थिति मे मोबाईल नम्बर परिवर्तित करना।	BEO/DEO	23.05.2025 तक

ACE Scanner

(ब) सामान्य निर्देशः–

- जिन आवेदको द्वारा म.प्र. शिक्षक पात्रता 2018 एवं उसके उपरांत उत्तीर्ण की है, ऐसे आवेदकों द्वारा दिव्यांग केटैगिरी का चयन (विकल्प) को दर्ज किया गया है। उनके जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र जिसमे दिव्यांगता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक होना अनिवार्य है।
- आवेदक म.प्र. के किसी भी जिले के संकुल मे उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही करा सकेगें।
- आवेदकों को सत्र 2025–26 हेतु नवीन पंजीयन एवं पूर्व से पंजीकृत आवेदकों हेतु दस्तावेज अपलोड एवं आवश्यक संशोधन हेतु अन्तिम अवसर दिया जा रहा है। अतः समयसीमा मे उक्त कार्यवाही आवश्यक रूप से करें।
- जिला शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जिले अन्तर्गत समस्त संकुल प्राचार्य द्वारा आवेदकों के दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही की जाए।
- संकुल प्राचार्य के समक्ष उपस्थित होने वाले समस्त आवेदकों का संकुल प्राचार्य द्वारा नवीन एजुकेशन पोर्टल 3.0 अन्तर्गत अतिथि शिक्षक GFMS पोर्टल पर आवेदकों के मूल दस्तावेजो के परीक्षण उपरांत तत्काल सत्यापन की कार्यवाही करें।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही निर्धारित समयसीमा मे करना सुनिश्चित करें।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 16/05/2025

पृ. क्र./अतिथि शिक्षक/2025–26/ 154
प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.।
2. सचिव म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.।
3. संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल।
4. कलेक्टर समस्त जिले मध्यप्रदेश।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त जिले।
6. Nicsi भोपाल की ओर सूचनार्थ।

अपर संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

PDF Scanner ACE Scanner